न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 134/2022

1 राजेन्द्र माहिच पुत्र गोविन्दराम जाति बलाई निवासी जोखिराम का कुँआ के पास नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 चन्द्री देवी पत्नी दुलीचन्द।
2 बनवारीलाल पुत्र दुलीचन्द।
3 शंकरलाल पुत्र दुलीचन्द समस्त जाति नायक निवासीगण जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर।
4 भूधारक राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 विरूद्व आदेश दिनांकित 27.03.2008 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर अन्तर्गत मुकदमा नम्बर 51/08 बउनवानी दुलीचन्द बनाम गोरूराम अन्तर्गत धारा 212

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता अपीलांट

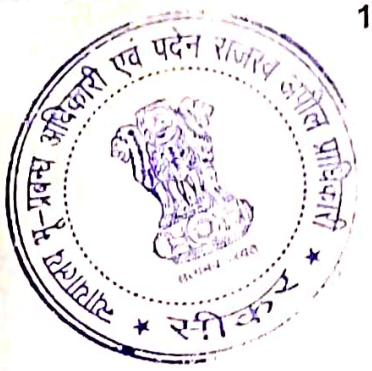

—निर्णय—

दिनांकः— 14/12/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 51/2008 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2008 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम जगमालपुरा तहसील सीकर की भूमि खसरा नम्बर 755 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 5 व धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपीलांट जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रभावित पक्षकार है अतः धारा 5 व धारा 96 का आवेदन स्वीकार किया जावें। गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति एवं 2 ता 3 के पिता दुलीचन्द ने पूर्व में इसी न्यायालय में एक राजस्व वाद नम्बरी 217/93 बउनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज आदि इसी वादग्रस्त भूमि के संबध में खातेदारी अधिकारों की उदघोषणार्थ प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2000 को खारिज कर दिया गया था। उक्त निर्णय व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिक्री के विरूद्ध आवेदक दुलीचन्द ने राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के यहां अपील संख्या 37/2000 बउनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज आदि प्रस्तुत की थी जो दिनांक 06.07.2001 को खारिज कर दी गयी। उक्त निर्णय व डिक्री जो राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित की गयी थी के विरूद्ध हस्तगत आवेदन के आवेदक दुलीचन्द ने राजस्व मण्डल अजमेर के यहां द्वितीय अपील संख्या 11529/2001 बउनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज आदि प्रस्तुत की थी। जो भी दिनांक 16.11.2007 को खारिज कर दी गयी। तत्पश्चात दुलीचन्द रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पूर्वज ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2538/2008 बउनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज आदि प्रस्तुत की जो दिनांक 27.05.2008 को खारिज करके अधिनस्थ अदालतों के निर्णय व डिक्री पुष्ट की गयी। जब मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था उसी समय दिनांक 15.03.2008 को दावा व टी. आई. आवेदन प्रस्तुत किया गया। किन्तु राजस्व मण्डल अजमेर तक इसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद वादी खारिज हो चुका था। उक्त चुनौतिग्रस्त आदेश जो टी.आई. आवेदन के संबंध में जारी किया गया है वह मूल वाद मात्र स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के अनुतोष के लिए है। वादी के पास टाइटल नहीं है, कानूनन स्वत्व की घोषणा के लिए अनुतोष क्लेम किये बगैर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का अनाथूल्ला बनाम बुच्चीरेडी केस लॉ महत्वपूर्ण है। वादी का उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व वाद खातेदारी की उदघोषणा चार अदालतों द्वारा यहां तक राजस्थान उच्च न्यायालय में भी खारिज हो जाने से रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत धारा 11 सीपीसी के तहत भी वाद खारिज होने योग्य था। दिनांक 17.03.2008 को पप्पू कुमावत के पक्ष में अपीलांट द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 616 दिनांक 20.03.2016 को स्वीकृत किया गया था। उक्त नामान्तकरण के आदेश के विरूद्ध हस्तगत वाद/आवेदन के आवेदक दुलीचन्द ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 9/08 बउनवानी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दुलीचन्द बनाम गोरूराम प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20.07.2017 को रिमाण्ड की जाकर तहसीलदार सीकर को पुनः जांच कर नामान्तकरण के संबंध में नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु आदेशित की गयी। तत्पश्चात तहसीलदार सीकर के यहां रिमाण्ड पत्रावली संख्या 09/2012 बउनवानी चन्द्रीदेवी बनाम गोरूराम आदि का निर्णय दिनांक 16.04.2012 को किया जाकर नामान्तकरण संख्या 616 को सही ठहराया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध दुलीचन्द के वारिसान रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 ने जिला कलक्टर सीकर के यहां अपील संख्या 32/2012 बउनवानी चन्द्रीदेवी बनाम गोरूराम प्रस्तुत की जिसमें अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार का यथावत रखा जाकर अपील खारिज की गई। उसके पश्चात जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 19.06.2014 के विरूद्ध चन्द्री देवी आदि रेस्पोडेन्टस द्वारा द्वितीय अपील संख्या 52/2014 बउनवानी चन्द्री देवी बनाम गोरूराम आदि सम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई। जो सम्भागीय आयुक्त जयपुर के द्वारा अपने दिनांकित 29.04.2019 के जरिये खारिज कर दी गई। आवेदक द्वारा जो मूल वाद पेश किया गया उसमें चाहा गया अनुतोष उसे प्राप्त होने की सम्भावना शून्य थी तथा अपने अधिकारों के लिए प्रस्तुत वाद व अपील खारिज होने के पश्चात पुनः उसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद व आवेदन के अवलोकन एवं निर्णयों की श्रृखला से आवेदक का मामला सबल व सुदृढ नहीं था। बल्कि अपीलान्ट प्रतिवादी ही खातेदार था। रेकार्डेड खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नहीं था। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी होने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है अतः न्यायहित को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट जरिये पंजीकृत विकय पत्र विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रभावित पक्षकार है विचारण न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अपीलांट पक्षकार नहीं था। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित होना प्रथम दृष्ट्या प्रकट होता है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति एवं 2 ता 3 के पिता दुलीचन्द ने पूर्व में इसी न्यायालय में एक राजस्व वाद नम्बरी 217/93 बउनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज आदि इसी वादग्रस्त भूमि के संबध में खातेदारी अधिकारों की उदघोषणार्थ प्रस्तुत किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2000 को खारिज कर दिया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आवेदक दुलीचन्द ने राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के यहां अपील संख्या 37/2000 बउनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज आदि प्रस्तुत की थी जो दिनांक 06.07.2001 को खारिज कर दी गयी। उक्त निर्णय व डिक्री जो राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित की गयी थी के विरूद्ध हस्तगत आवेदन के आवेदक दुलीचन्द ने राजस्व मण्डल अजमेर के यहां द्वितीय अपील संख्या 11529/2001 बउनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज आदि प्रस्तुत की थी जो भी दिनांक 16.11.2007 को खारिज कर दी गयी। तत्पश्चात दुलीचन्द रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पूर्वज ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नम्बर 2538/2008 बउनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज आदि प्रस्तुत की जो दिनांक 27.05.2008 को खारिज करके अधिनस्थ अदालतों के निर्णय व डिक्री पुष्ट की गयी। जब मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन था उसी समय दिनांक 15.03.2008 को दावा व टी. आई. आवेदन प्रस्तुत किया गया। किन्तु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजस्व मण्डल अजमेर तक इसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद वादी खारिज हो चुका था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचाराधीन चुनौतिग्रस्त आदेश जो टी. आई. आवेदन के संबंध में जारी किया गया है वह मूल वाद मात्र स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के अनुतोष के लिए है। वादी के पास टाइटल नहीं है, कानूनन स्वत्व की घोषणा के लिए अनुतोष क्लेम किये बगैर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। वादी का उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व वाद खातेदारी की उदघोषणा चार अदालतों द्वारा यहां तक राजस्थान उच्च न्यायालय में भी खारिज हो जाने से रेसज्यूडिकेटा के सिद्धांत धारा 11 सीपीसी के तहत भी वाद खारिज होने योग्य था। दिनांक 17.03.2008 को पप्पू कुमावत के पक्ष में अपीलांट द्वारा विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 616 दिनांक 20.03.2016 को स्वीकृत किया गया था। उक्त नामान्तकरण के आदेश के विरूद्ध हस्तगत वाद/आवेदन के आवेदक दुलीचन्द ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 9/08 बउनवानी दुलीचन्द बनाम गोरूराम प्रस्तुत की थी जो दिनांक 20.07.2017 को रिमाण्ड की जाकर तहसीलदार सीकर को पुनः जांच कर नामान्तकरण के संबंध में नये सिरे से निर्णय पारित किये जाने हेतु आदेशित की गयी। तत्पश्चात तहसीलदार सीकर के यहां रिमाण्ड पत्रावली संख्या 09/2012 बउनवानी चन्द्रीदेवी बनाम गोरूराम आदि का निर्णय दिनांक 16.04. 2012 को किया जाकर नामान्तकरण संख्या 616 को सही ठहराया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध दुलीचन्द के वारिसान रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 ने जिला कलक्टर सीकर के यहां अपील संख्या 32/2012 बउनवानी चन्द्रीदेवी बनाम गोरूराम प्रस्तुत की जिसमें अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार का यथावत रखा जाकर अपील खारिज की गई। उसके पश्चात जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 19.06.2014 के विरूद्ध चन्द्री देवी आदि रेस्पोडेन्टस द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वितीय अपील संख्या 52/2014 बउनवानी चन्द्री देवी बनाम गोरूराम आदि सम्भागीय आयुक्त जयपुर के यहां प्रस्तुत की गई। जो सम्भागीय आयुक्त जयपुर के द्वारा अपने दिनांकित 29.04.2019 के जरिये खारिज कर दी गई। विधि अनुसार रेकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर